CHHATTISGARH SAMVAD

(An Associate Organization of C.G.D.P.R.)

North Block, Sector - 19, Atal Nagar, CHHATTISGARH, 0771-2512567, Samvad.cg.nic.in

GST No : 22AAATC9294Q1Z4 **PAN No : AAATC9294Q** **TAN : JBPC00957F**

पत्रिका मुद्रण हेतु निविदा की नियम एवं शर्ते

क्रमांक	नियम एवं शर्ते
1	निविदाकार/ मुद्रक के पास स्वयं के स्वामित्व का कम से कम एक Heatset Web Offset Multicolor Printing मशीन होना चाहिए जिसका Cut Off Size कम से कम 546 mm हो | मशीन की प्रति घंटा छपाई क्षमता 10 हजार नग या उससे अधिक होना चाहिये| ऐसा निविदाकार जो स्वयं भी मुद्रक हो, लेकिन उसके पास उक्त मशीन (Heatset Web Offset Multicolor Printing) न हो तो स्वयं के स्वामित्व के मशीन वाले अन्य मुद्रक से दो साल के लिए अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित अनुबंध की प्रति लेकर निविदा भर सकता है| निविदाकार का मुद्रक होना अनिवार्य है, उसको अपने यहाँ उपलब्ध Multicolor Printing Web या शीट फेड मशीन व कार्य का अनुभव व अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होगी |
2	निविदाकारों को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम से कम 75 लाख रुपए का मुद्रण कार्य का टर्न ओवर होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा |
3	छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए तथा उस पंजीयन प्रमाण-पत्र में मुद्रण, कार्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। टेक्निकल बिड में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा, जिसमें मुद्रण कार्य का स्पष्ट उल्लेख हो। फर्म को कर शोधन प्रमाण-पत्र टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है।
4	निविदाकारों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य । (1) जीएसटी प्रमाण पत्र| (2) पेन कार्ड । (3) वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 (अर्थात् असेसमेंट वर्ष 2019-20 एवं 2020-21) का इनकम टैक्स रिटर्न Acknowledgement एवं गणना प्रपत्र की प्रतियाँ । (4) पार्टनरशिप डीड (यदि फर्म पार्टनरशिप में है तो) / कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (5) फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट / शॉप एक्ट लायसेन्स । (6) किसी भी शासकीय संस्था के लिए एक साल का मुद्रण अनुभव|(मुद्रण कार्यादेश संलग्न करें) (7) यदि निविदाकार के पास स्वयं की Heatset Web Offset मशीन है तो उसे उक्त मशीन का बिल, बाइंडिंग मशीन का बिल तथा कटिंग मशीन के बिल की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। यदि निविदाकार किसी Heatset Web Offset वाले से अनुबंध करके, निविदा प्रस्तुत कर रहा है तो उसे अनुबंधकर्ता द्वारा प्रमाणित उक्त मशीनों का विवरण जमा करना होगा, जरूरत पड़ने पर निविदाकार को सभी मशीने का भौतिक सत्यापन कराना होगा। (8) सहमति या अनुबंध की स्थिति में Heatset मशीन के स्वामित्व वाली संस्थान इस पत्रिका के मुद्रण के लिए कोई भी एक ही निविदाकार से ही अनुबंध कर सकती है| अनुबंध 50 रुपए की स्टाम्प पेपर में करना होगा | (9) मुद्रणालय / फर्म के नाम का विद्युत बिल (स्वप्रमाणित) । (10) कार्यादेश प्राप्त होने के मुद्रण की संख्या के आधार पर पूरी मुद्रण सामग्री 7 से 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से आपूर्ति करनी होगी|
5	निविदा के साथ चाहे गए सभी प्रकार के पेपर के नमूने जिसमें गुणवत्ता विवरण के साथ संस्था की सील व स्वप्रमाणित, लगी हुई हो संलग्न् कर प्रस्तुत करना होगा |
6	निविदाकारों को निविदा के टेक्निकल बिड साथ सुरक्षा निधि/अमानत राशि के रूप में छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर के नाम से देय राशि रूपए 3,00,000 /- (तीन लाख रुपये मात्र) बिना ब्याज का वापसी योग्य एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रूपए 5900/-(रूपए 5,000/- + GST 9,00/-) (वापसी योग्य नहीं), का डिमांड ड्राफ्ट उपलब्ध करना होगा |
7	पत्रिका का मुद्रण, निर्धारित तिथि में संवाद द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रारूप अनुसार किया जाना हैं| निविदा तथा कार्यादेश पर उल्लेखित कागज की गुणवत्ता एवं GSM का परिपालन मुद्रण के समय किया जाना अनिवार्य होगा |
8	निविदाकार को दो अलग–अलग बन्द लिफाफे में निविदा जमा करना होगा । एक लिफाफा टेक्निकल बिड का रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से देय सुरक्षा निधि (वापसी योग्य) 3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 5,900/- (पांच हजार नौ सौ वापसी योग्य नहीं) का डिमांड ड्राफ्ट, मशीन एवं अन्य टेक्निकल जानकारियां रहेगी एवं दूसरे लिफाफे में (फाइनेंशियल बिड) मात्र निविदा दरें रहेगा । लिफाफे के ऊपर फाइनेंशियल बिड एवं दूसरे लिफाफे में टेक्निकल बिड का उल्लेख करना होगा । टेक्निकल बिड में योग्य पाये गये मुद्रकों का फाइनेंशियल बिड खोला जायेगा, अयोग्य संस्थाओं का फाइनेंशियल बिड नहीं खोला जायेगा । विशेष परिस्थितियों में पृष्ठ संख्या में वृद्धि या कमी होने पर आनुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा |
9	पत्रिका के मुद्रण का अनुबन्ध, एक वर्ष की अवधि के लिये होगा । कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में निविदा के न्यूनतम दर पर पुनः एक वर्ष के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा | समय – सीमा व वांछित गुणवत्ता आकार – प्रकार तथा निर्धारित मात्रा में सामग्रियों का मुद्रण करना अनिवार्य है| मुद्रण कार्य में त्रुटि, गुणवत्ता में

	कमी, किसी प्रकार की अनियमितता तथा शर्तो के किसी भी बिन्दु का उल्लघंन होने की दशा में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा तथा मुद्रक से क्षतिपूर्ति भी वसूली की जायेगी, मुद्रक की जमा अमानत राशि राजसात किया जा सकता है तथा कार्यदिश निरस्त कर मुद्रक को एक वर्ष के लिए काली सूची में डाली जा सकती है ।
10	मुद्रक को नियत स्थान तक मुद्रित सामग्री पंहुचाने में पूरी सुरक्षा बरतनी होगी, मुद्रित सामग्री में किसी प्रकार की क्षति अथवा कमी पाये जाने की स्थिति में प्रमाणित नुकसान के लिए मुद्रक स्वयं जिम्मेदार होगा | नियत समय में पत्रिका की प्रतियाँ छत्तीसगढ़ संवाद अटल नगर, रायपुर / जनसंपर्क संचालनालय को सुरक्षित बंडल प्रदान करना मुद्रक की जिम्मेदारी होगी । मुद्रण दरें F.O.R. रायपुर तथा अटल नगर, रायपुर होगी | पत्रिका के परिवहन, लोडिंग- अनलोडिंग एवं अन्य सभी व्यय का भुगतान मुद्रक को करना होगा |सुपुर्दगी का स्थल स्थानीय होने की स्थिति में मुद्रकों / एजेंसियों को अलग से किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा|
11	मुद्रण सामग्री के आकार-प्रकार में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत तथा मुद्रण की गुणवत्ता में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत एवं दोनों कमी पाये जाने पर 5 प्रतिशत दर पर कटौती की जायेगी। पृष्ठ संख्या में परिवर्तन होने पर निविदा के न्यूनतम दर से अनुपातिक दर की गणना की जायेगी। इसके अलावा मुद्रण समय-सीमा से विलंब होने पर विलंब अवधि के प्रति दिन के आधार पर पेनाल्टी काटने का अधिकार मुख्य कार्यपलन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
12	मुद्रण सामग्री के साईज में वेरियेशन कार्यादिश में उल्लेखित साईज से 0.5 प्रतिशत तक मान्य होगा जिसमें वेरियेशन यदि 0 .5 प्रतिशत 3mm से कम होने पर ± 3mm एवं वेरियेशन 0 .5 प्रतिशत से ज्यादा होने पर ± 5mm तक वेरियेशन मान्य होगा।
13	मुद्रक को मुद्रण संबंधी देयकों का भुगतान प्रमाणित नमूनों की छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा गुणवत्ता एवं चालान के परीक्षणोपरांत, विभाग से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा । उक्त मुद्रण कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा | संवाद को विभाग से प्रमाणित नमूने उपलब्ध कराने का दायित्व मुद्रक का होगा |
14	निविदा में प्राप्त L1 दर के आधार पर टेक्निकल बिड में योग्य पाये गए फर्मों से निविदा के न्यूनतम दर पर कार्य करने की सहमति प्राप्त कर सहमत फर्मों का पैनल बनाया जायेगा | निविदा के L1 दर पर L1 दर वाले मुद्रक से मुद्रण कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी | पैनल के मुद्रक से आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम दर में कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा | निविदा दरें अव्यवहारिक होने पर मान्य करना अनिवार्य नहीं होगा |
15	जिस किस्मों के कागज तथा गुणवत्ता का उल्लेख करते हुए पत्रिका का मुद्रण करने हेतु निविदाए मंगाई जा रही है उन्ही किस्मों के कागज, मात्रा तथा आकार-प्रकार एवं निर्धारित समय-सीमा में मुद्रण सामग्री प्रदाय करनी होगी | मुद्रक द्वारा बिना लिखित अनुमति के मुद्रण कार्यादेश से मुद्रण में परिवर्तन करने पर छत्तीसगढ़ संवाद, मुद्रकों के देयकों का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा |
16	मुद्रक द्वारा प्रस्तुत देयक में मुद्रित सामग्रियों की गुणवत्ता, मात्रा एवं दर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए | मुद्रक को देयकों में जीएसटी राशि का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है | जीएसटी अलग से देय होगा | देयक के साथ मुद्रण सामग्रियों के नमूने की प्रतियों में संबंधित विभाग के प्राप्तकर्ता का नाम, पद नाम एवं कार्यालय का सील लगा हुआ मुद्रित नमूनों की तीन-तीन प्रतियाँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा | आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग से संवाद द्वारा सीधे तौर से नमूने की अलग से प्रतियां परीक्षण हेतु प्राप्त की जा सकती है|
17	संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गए सीडी / डिजाइन में ही मुद्रण करना होगा तथा मुद्रक को स्वीकृत दर के अलावा अलग से फिल्म, प्लेट, बटर पेपर अन्य खर्च के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी | अत: निविदा में समस्त व्यय आदि को शामिल करते हुए दरें प्रस्तुत करे|
18	शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये मुद्रक निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में मुद्रक को स्वहस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मुद्रक को उक्त में से कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है।
19	छत्तीसगढ़ संवाद को किसी भी समय मुद्रकों के मुद्रणालयो का आकस्मिक निरीक्षण करने, मुद्रणालय अथवा सम्बंधित विभाग से मुद्रित सामग्रियों का नमूना लेकर सभी प्रकार की गुणवत्ता परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा |
20	निविदा में अंकित नियम एव शर्तो में से किसी भी शर्त को पूर्णत: अथवा अंशत: कार्य की तात्कालिक एवं विशिष्ट परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शिथिल किया जा सकेगा ।
21	निविदा स्वीकार करने / अस्वीकार करने तथा न्यूनतम निविदा दर पर पैनल के किसी भी मुद्रक से कार्य कराने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा |
22	निविदा दरें केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करना होगा|

23	मुद्रित सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जाँच का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद को होगा आवश्यकता पड़ने पर संवाद की समिति अथवा मुद्रण कार्य विशेषज्ञ अथवा इस संबंध में जाँच एजेंसी / प्रयोगशाला में जाँच कराई जा सकेगी, जिसका व्यय मुद्रक के देयक में काटा जायेगा	
24	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा	
25	निविदा जमा करने का आशय यह होगा की मुद्रक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं|
26	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा	

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर(छ . ग.)